न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1562–तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 26–9–2003 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 146/2002–03 अपील

मलखान सिंह पुत्र भूपसिंह
ग्राम मानगढ़ तहसील रौन
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश । ---आवेदक

विरूद्ध

1– महादेव पुत्र भगवानदास ब्राहमण
निवासी मानगढ़ तहसील रौन जिला भिण्ड
2– चिमन सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह
3– बलवीरसिंह पुत्र चिमन सिंसह
4– राजबहादुर पुत्र चिमन सिंह
निवासी मानगढ़ तहसील रौन जिला भिण्ड
5– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक क–5 के अभिभाषक श्री अनिल श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित– एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 19–1 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 146/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 26–9–2003 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार रौन को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि उसकी भूमि सर्वे नंबर 797 रकबा 2 हैक्टर बंदोवस्त के पूर्व सर्वे नंबर 498/1 रकबा 1.990 हैक्टर थी। इसी के पास में सर्वे नंबर 821 तथा 822 है। अनावेदक क्र-1 से 4 जिसके भूमिस्वामी हैं। सर्वे नंबर 821 का बंदोवस्त के पूर्व 463 नंबर एंव सर्वे नंबर 822 का 462 नंबर है इन भूमिस्वामियों के स्वत्व की भूमि के बीच में मेढ़ से बंदोवस्त में रास्ता बनाया गया है परन्तु बंदोवस्त के पूर्व कोई रास्ता नहीं था , इसलिये सर्वे नंबर 796 रकबा 0.03 हैक्टर निरस्त कर बंदोवस्त के पूर्व के नक्शे अनुसार सुधार किया जावे। तहसीलदार रौन ने प्रकरण क्रमांक 6/2001-02 अ-5 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 26-8-02 से आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी लहार,रौन, मिहोना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 5/02-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-3-2003 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा सर्वे क्रमांक 796 रकबा 0.03 हैक्टर पर बनाया गया रास्ता दुरूस्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील क्रमांक 146/2002-03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 26-9-2003 से अपील अवधि-वाह्य होने से निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर आवेदक अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 146/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 26-9-2003 के अवलोकन पर विचार यह करना है कि अपर आयुक्त व्दारा आवेदक की अपील समयवाह्य मानकर निरस्त करने में त्रृटि की है अथवा नही ? अनुविभागीय अधिकारी, लहार,मिहोना,रौन ने दोनों पक्षों के तर्क श्रवण कर दिनांक 27-3-2003 को आदेश पारित किया है इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष दिनांक 30-5-2003 को अपील प्रस्तुत की है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 47 में तत्समय प्रचलित अपील/निगरानी हेतु निर्धारित समय-सीमा अनुसार द्वित्तीय अपील करने हेतु 60 दिवस की समय-सीमा रही है इस प्रकार 27-3-03 से 30-5-03 तक की अवधि के बीच के दिन 63 होते हैं अर्थात आवेदक ने मात्र 3 दिवस के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है एंव अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया है जिसे अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना ने तकनीकी कमी के कारण स्वीकार नहीं किया है। परिसीमा अधिनियम 1963 धारा-5 एंव मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 47 में दिये गये प्रावधानानुसार सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार-रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-50- आयुक्त के समक्ष नियत कालावधि के वाहर निगरानी की गई - राजस्व मण्डल में केवल म्याद के निराकरण तक विचार की सीमा रहेगी- मामला पूरे प्रकरण पर विचारित नहीं होगा।**

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)-धारा-50 सहपठित 47 - निगरानी समयावधि के बिन्दु पर निरस्त - द्वित्तीय निगरानी समयावधि के बिन्दु पर स्वीकार - मामला अधीनस्थ न्यायालय को गुणदोषों पर विचार हेतु भेजा जायेगा।

विचाराधीन प्रकरण में अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 26-9-2003 पारित करते समय उक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 146/2002-03 अपील में आदेश दिनांक 26-9-2003 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता हैं कि उभय पक्ष की पुनः सुनवाई की जाकर अपील प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर